# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग | प्रस्तुतिकरण की तिथि | आलोच्य आदेश दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 453/2025 | राम रूप गुर्जर | 1. प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।<br>2. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।<br>3. उप वन संरक्षक, दौसा। | 11.02.2025 | 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं 03.02.2025 (अनुलग्नक–2) |
| 02. | 454/2025 | कजोड़मल गुर्जर | | | |
| 03. | 456/2025 | जोरेराम गुर्जर | | | |
| 04. | 458/2025 | हजारी लाल योगी | | | |

आदेश की दिनांक : 12.02.2025

**उपस्थिति :–**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री तंवर सिंह राठौर, अभिभाषक

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 453/2025 राम रूप गुर्जर बनाम प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तकनीशियन–।।। के पद पर कार्यालय उपवन संरक्षक, नाका दौसा रेंज दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नाका गाजीपुर, रेंज महुवा में करीब 100 किमी दूर किया गया है तथा जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के कार्यमुक्ति आलोच्य दिनांक 03.02.2025 (अनुलग्नक–2) के आदेश पारित कर अपीलार्थी को नाका गाजीपुर रेंज महवा के लिए कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी अल्पवेतन भोगी कार्मिक है। साथ ही आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को टीए डीए नहीं प्रदत्त किया गया,

जो नियम–17(4) का उल्लंघन है, जो नियम विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं आलोच्य आदेश दिनांक 03.02.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को तकनीकी–।।। के पद पर उपवन संरक्षक नाका दौसा, रेंज दौसा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

7. मूल आदेश अपील संख्या 453/2025 राम रूप गुर्जर बनाम प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसावडा)**
**सदस्य**